

1090

#1366

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामाण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - तुर्किया खुर्द)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 78

दायर दिनांक 10/10/2025

निर्णय दिनांक 10/10/25



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	
1	तुर्किया खुर्द	22	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम तुर्किया खुर्द प.ह. तुर्किया खुर्द खातासं 22 में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक खाना 3444	शुद्ध प्रविष्टी राजस्थान ग्रामीण बैंक खाना 3444
			हस्ताक्षर पटवारी 10/10/2025 पटवारी मण्डल तुर्किया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)	हस्ताक्षर गिरदावर 10/10/25 हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशा तुर्किया खुर्द राजस्थान के खाना में अमल दरामद करें।

तहसीलदार (म.अ.)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

तहसीलदार कपासन